Monthly Activity Report and Annexure K for the month of November-2025

At Community Level: Empowering Communities through Knowledge

S. No.	State	Activities	Picture
1.	UTTAR PRADESH District Bulandshahr	पीडब्लूडी गेस्ट हाउस बुलन्दशहर (महिला जनसुनवाई) दिनांक 19.11.2025 को महिलाओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं विषयक जागरूकता चैपाल एवं महिला जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं की सहायता हेतु काउन्सलर श्रीमती राबिया खातून, नामित अधिवक्ता एवं पैरा विधिक स्वंय सेवक श्री सोहनपाल सिंह व श्रीमती शालु वशिष्ठ को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया था। जिनके द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं की सहायता की गयी तथा उन्हें ''मिशन शक्ति'' विशेष अभियान के बारे में विस्तार से बताया गया।	

At Colleges & Schools: Empowering the Future Leaders through Knowledge

S. No.	State	Vanue	Activities	Picture
1.	UTTAR PRADESH Distric Bulanc ahr	(DATE-14-11-2025) DAV Degree college bulandshahr	माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में तथा माननीय श्री संजय सिंह-01, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुलन्दशहर के दिशा-निर्देशन में दिनांक 14.11.2025 को समय 12ः00 बजे डी0ए0वी डिग्री कॉलिज, बुलन्दशहर,, तहसील बुलन्दशहर ''मिशन शक्ति'' विशेष अभियान विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वक्ताओं द्वारा महिलाओं का समुचित सम्मान व आदर करें तथा एक आर्दश समाज की स्थापना में अपना सहयोग करें, मौलिक अधिकारी के उल्लंघन पर पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है, किसी अप्रिय घटना की स्थिति में हेल्प लाईन 1090 नम्बर डायल करें तथा पुलिस से मदद प्राप्त करें,घरेलू हिंसा की स्थिति में मदद के लिए हेल्प लाईन 1091 नम्बर डायल करें तथा पुलिस से मदद प्राप्त करें, महिला सुरक्षा के लिए हेल्प लाईन 181 नम्बर डायल करें तथा पुलिस से मदद प्राप्त करें,सभी महिलाओं को समानता को मौलिक अधिकार है,स्त्री व पुरूषों में लिंग के आधार पर भेदभाव निषेधित है,कार्य स्थल पर महिलाओं का शारीरिक शोषण करना एक दण्डनीय अपराध है,वैवाहिक विवाद को वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली, सुलह-समझौता, लोक अदालत इत्यादि के माध्यम से निस्तारण करा सकते हैं,18 वर्ष से कम की लड़की व 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह दण्डनीय अपराध है,विवाह के समय दहेज लेना व देना एक दण्डनीय अपराध है,दहेज के लिए स्त्री को प्रताड़ित करना एक दण्डनीय अपराध है, प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव का अधिकार है और इसके लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है,महिलाओं, अवयस्क बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है,सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय मामलों में गिरफ्तारी से पूर्व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए नोटिस देना आवश्यक व अनिवार्य है,सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय मामलों में गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है,गिरफ्तारी के बाद 24 घण्टे के अन्दर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है,यदि पीड़ित व्यक्ति निर्धन है तो संस्कार की तरफ से उसको निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाता है,गर्भवती महिला की भ्रूण हत्या करना एक दण्डनीय अपराध है, गर्भवती महिला के भ्रूण का लिंग जाँच करने वाले डॉक्टर व जाँच कराने वाले, दोनों दण्डित होते हैं,महिला का प्रसव अस्पताल में कराये और केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाये,महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा कारित करना दण्डनीय अपराध है,महिलाओं के प्रति यौन शोषण व घरेलू हिंसा कारित न करें और न ही लिंग जाँच करायें,निःशुल्क विधिक सहायता के लिए हेल्प लाईन 15100 नम्बर डायल करें तथा कानूनी मदद प्राप्त करें,महिला अधिकारों की उल्लंघन की दशा में राष्ट्रीय महिला आयोग व राज्य महिला आयोग को शिकायत भेजें,निःशुल्क विधिक सहायता के लिए राष्ट्रीय/राज्य/जिला/तहसील/विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क करें,सशक्त महिला से सशक्त समाज और सशक्त समाज से सशक्त देश निर्माण होता है, आईये हमसब मिलकर सशक्त महिला, सशक्त समाज और सशक्त देश का निर्माण करें, मध्यस्थता के मामले व स्थायी लोक अदालत के संबंध में आदि के बारे में विस्तार से बताया गया।	

2.		Date-15-11-2025 GauriSankar kanya degree collegbulandshahr	माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में तथा माननीय श्री संजय सिंह-01, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुलन्दशहर के दिशा-निर्देशन में दिनांक 15.11.2025 को समय 02ः00 बजे गौरी शंकर कन्या महाविद्यालय, बुलन्दशहर, तहसील बुलन्दशहर "मिशन शक्ति" विशेष अभियान विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वक्ताओं द्वारा महिलाओं का समुचित सम्मान व आदर करें तथा एक आर्दश समाज की स्थापना में अपना सहयोग करें, मौलिक अधिकारी के उल्लंघन पर पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है, किसी अप्रिय घटना की स्थिति में हेल्प लाईन 1090 नम्बर डायल करें तथा पुलिस से मदद प्राप्त करें,घरेलू हिंसा की स्थिति में मदद के लिए हेल्प लाईन 1091 नम्बर डायल करें तथा पुलिस से मदद प्राप्त करें, महिला सुरक्षा के लिए हेल्प लाईन 181 नम्बर डायल करें तथा पुलिस से मदद प्राप्त करें,सभी महिलाओं को समानता को मौलिक अधिकार है,स्त्री व पुरूषों में लिंग के आधार पर भेदभाव निषेधित है,कार्य स्थल पर महिलाओं का शारीरिक शोषण करना एक दण्डनीय अपराध है,वैवाहिक विवाद को वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली, सुलह-समझौता, लोक अदालत इत्यादि के माध्यम से निस्तारण करा सकते हैं,18 वर्ष से कम की लड़की व 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह दण्डनीय अपराध है,विवाह के समय दहेज लेना व देना एक दण्डनीय अपराध है,दहेज के लिए स्त्री को प्रताड़ित करना एक दण्डनीय अपराध है, प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव का अधिकार है और इसके लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है,महिलाओं, अवयस्क बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है,सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय मामलों में गिरफ्तारी से पूर्व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए नोटिस देना आवश्यक व अनिवार्य है,सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय मामलों में गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है,गिरफ्तारी के बाद 24 घण्टे के अन्दर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है,यदि पीड़ित व्यक्ति निर्धन है तो संस्कार की तरफ से उसको निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाता है,गर्भवती महिला की भ्रूण हत्या करना एक दण्डनीय अपराध है, गर्भवती महिला के भ्रूण का लिंग जाँच करने वाले डाॅक्टर व जाँच कराने वाले, दोनों दण्डित होते हैं,महिला का प्रसव अस्पताल में कराये और केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाये,महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा कारित करना दण्डनीय अपराध है,महिलाओं के प्रति यौन शोषण व घरेलू हिंसा कारित न करें और न ही लिंग जाँच करायें,निःशुल्क विधिक सहायता के लिए हेल्प लाईन 15100 नम्बर डायल करें तथा कानूनी मदद प्राप्त करें,महिला अधिकारों की उल्लंघन की दशा में राष्ट्रीय महिला आयोग व राज्य महिला आयोग को शिकायत भेजें,निःशुल्क विधिक सहायता के लिए राष्ट्रीय/राज्य/जिला/तहसील/विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क करें,सशक्त महिला से सशक्त समाज और सशक्त समाज से सशक्त देश निर्माण होता है, आईये हमसब मिलकर सशक्त महिला, सशक्त समाज और सशक्त देश का निर्माण करें, मध्यस्थता के मामले व स्थायी लोक अदालत के संबंध में आदि के बारे में विस्तार से बताया गया।	

<u>At Jails: Rekindling Hope behind Bars</u>

S. No.	State	Activities	Picture
1.	UTTAR PRADESH District Bulandshahr	**जिला कारागार निरीक्षण/शिविर–दिनांक -07-11-2025** जिला कारागार, बुलन्दशहर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण तथा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें पूर्ण कालिक सचिव श्री शहजाद अली द्वारा नशा मुक्ति, डीएलएसए व पीएलए के कार्य के सम्बन्ध में, कानूनी से सम्बन्धित जानकारी, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना तथा इसके अतिरिक्त शासन, प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं, मौलिक।	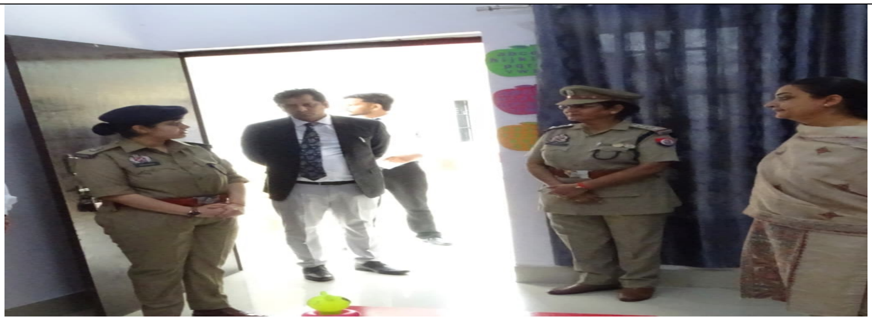
2.	UTTAR PRADESH District Bulandshahr	**जिला कारागार निरीक्षण/शिविर–दिनांक** -25-11-2025 जिला कारागार, बुलन्दशहर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण तथा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें पूर्ण कालिक सचिव श्री शहजाद अली द्वारा नशा मुक्ति, डीएलएसए व पीएलए के कार्य के सम्बन्ध में, कानूनी से सम्बन्धित जानकारी, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना तथा इसके अतिरिक्त शासन, प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं, मौलिक।	
3.	UTTAR PRADESH District Bulandshahr	**जिला कारागार निरीक्षण/शिविर–दिनांक** -29-11-2025 जिला कारागार, बुलन्दशहर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण तथा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें पूर्ण कालिक सचिव श्री शहजाद अली द्वारा नशा मुक्ति, डीएलएसए व पीएलए के कार्य के सम्बन्ध में, कानूनी से सम्बन्धित जानकारी, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना तथा इसके अतिरिक्त शासन, प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं, मौलिक।	